Admission Cancellation, Refund Policy, Terms and Conditions

1 किसी भी चरण की काउसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते है तो उन्हे निरस्तीकरण की कार्यवाही निर्धारित तिथि में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगी । संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजो के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त करवा सकते है ।

2 काउसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा आवंटित संस्था/सहायता केन्द्र पर उपलब्ध नही रहेगी ।

3 यदि किसी प्रकरण पर यह पाया गया है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रदेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समस किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा ।

4 मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए जारी शैक्षणिक कैलेण्डर प्रभावशील रहेगा ।

5 प्रवेश निरस्तीकरण करवाने पर शैक्षणिक शुल्क की राशि की वापसी एआईसीटीई द्वारा सत्र के लिए जारी किये गये शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार की जायेगी ।

6 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिए स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) जारी किया जावेगा ।